राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4171/2025

1. योगेश कुमार मीणा
2. सुनीता देवी जाटव
3. दर्शना कौर

–अपीलार्थी

बनाम

अति. मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.09.2025
सुनवाई की दिनांक : 11.09.2025
आदेश की दिनांक : 11.09.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, (अध्यक्ष)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार पंचायत राज विभाग ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 273 के प्रावधानों के अनुसार जिला परिषदों द्वारा कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती परीक्षा 2013 आयोजित की गई, जिसमें अपीलार्थीगण का भी चयन किया गया। जिनमें से बोनस अंक कम करने पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई। जिसमें स्थगन आदेश से पूर्व जिला परिषद अलवर ने दिनांक 26.06.2013 को करीब 63 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति प्रदान की गई तथा माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण शेष कनिष्ठ सहायकों के बोनस अंक विवाद के कारण पदस्थापन रोका गया। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय होने के पश्चात् माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय होने के पश्चात् विभाग ने बोनस अंक देते हुए आदेश दिनांक 24.11.2022 के द्वारा अपीलार्थीगण की कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति की गई। जिसकी पालना में अपीलार्थीगण ने दिनांक 24.11.2022 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थीगण को देरी से कार्यग्रहण करवाया गया। जबकि अपीलार्थीगण वर्ष 2013 के चयनित कार्मिक है। जिसमें अपीलार्थीगण का कोई दोष

नहीं है। परन्तु प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थीगण को देरी से नियुक्ति प्रदान की तथा अपीलार्थीगण को अन्य कार्मिकों की भांति वरिष्ठता व नोशनल फिक्सेशन का लाभ नहीं दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी सं. 3 को दिनांक 16.02.2025 (अनुलग्नक–1) को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। जिस पर प्रत्यर्थीगण ने कोई विचार नहीं किया। अपीलार्थीगण अन्य कार्मिकों की भांति जिनका दिनांक 26.06.2013 (अनुलग्नक–2) के आदेश द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई है तथा एक ही वर्ष में चयनित कार्मिक है, जिनको दिनांक 26.06.2013 से वरिष्ठता व अनुभव का लाभ व वार्षिक वेतन वृद्धियां दी गई है तथा अपीलार्थीगण को उक्त वार्षिक वेतन वृद्धियां, वरिष्ठता व नोशनल फिक्सेशन का लाभ नहीं दिया गया है। माननीय उच्च न्यायलय ने एसबी सिविल रिट पीटिशन सं. 11564/2025 प्रेमचंद मेहर व अन्य बनाम राजस्थान सरकार में समान तथ्यों पर वर्ष 2013 की कनिष्ठ सहायक की भर्ती पर बाद में नियुक्त कार्मिकों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार लाभ देने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के आदेश दिये है। अपीलार्थीगण का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थीगण को वर्ष 2013 में नियक्त कनिष्ठ सहायकों की भांति दिनांक 26.06.2013 से काल्पनिक परिलाभ देते हुए वरिष्ठता, वेतनवृद्धियां देते हुए नोशनल फिक्सेशन किया जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में

गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष